

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2021/ 1782

दिनांक 12/12/2021

प्रार्थीगण :-

1. हुकमाराम
2. मूलाराम पि.ठाकराराम
3. चनणी पत्नि ठाकराराम,  
जातियान जाट,  
निवासी ताजाणियों का तला (कापराऊ)  
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1. सगरा पुत्र भीखा जाति जाट, 2. नमाज
3. मांझी पि.हामिद 4. जलाल 5. सकूर
6. सोबदार 7. उमर पि.दोदा 8. मारफत पत्नि  
दोदा 9. मीरखान 10. मोहम्मद रहीम 11. अनवर  
पि.सरादीन 12. लूणा 13. रफीक 14. अशरफ  
15. आरिफ पि.नेहाल 16. जमाली पत्नि नेहाल  
जाति मुसलमान 17. भगाराम पुत्र रामचन्द,  
जाति जाट, निवासीयान ताजाणियों का तला  
18. मगा पुत्र लालू जाति भील, निवासी  
कापराऊ 19. तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 116/2021

दिनांक : 12.12.2021

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र कापराऊ के मौजा ताजाणियों का तला के खेत खसरा सं. 363/296 रकबा 14.05 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2021/ 1783 to 1786

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण हुकमाराम
3. विप्रार्थीगण सगरा वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना

(भार्गीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन

दिनांक 12/12/2021



उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन